महिलाओं के अधिकारों पर हमला रोका जाना चाहिए

सामूहिक नारीवादी निवेदन

आज अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में चल रही चर्चाओं में कठोर सर्वसम्मति के साथ एक बहुत चिंताजनक साँचा उभर रहा है - महिला सामर्थ्य पर एक नए तरीके से प्रणालीगत हमला। मुख्य रुप से आत्म-बलिदान करके परिवार की देखभाल करनेवाली, निष्ठाजनक स्वास्थ्य सेवक, या अपने प्रजनन कार्य को पूरा करनेवाली वफादार माताओं के रूप में महिलाओं को आज स्वास्थ्य संबंधी घिसीपिटी रूढ़िवादिताओ के संकुचित और सिमित ख़यालो ने तेजी से कमजोर और निर्धारित सामाजिक भूमिकाओं में बंधित बना दिया है। लेकिन महिलाओं की वास्तविकता काफ़ी अलग है: वे निर्बल है नहीं, बल्कि उन्हें निर्बल बना दिया जाता है।

स्त्रियों को मिलने वाली दिखावटी सेवाएं आज की ऑस्टेरिटी नीतिओं के साथ विशिष्ट रूप से टकराती है, जो उनके आवश्यक कार्यों और अन्य सामाजिक पुनरुत्पादन गतिविधियों के लिए आवश्यक सार्वजनिक वित्तीय प्रतिबद्धताओं और दायित्वों को कम कर देती है. इससे उन महिलाओं और लड़कियों का शोषण और बढ़ता है जो बड़े पैमाने पर अवैतनिक श्रम करना जारी रखती हैं।[1] यह असमानता न केवल महिलाओं के आत्मनिर्णय और सामाजिक-राजनीतिक सहभागिता को कमजोर करती है, पर यह यथाक्रम अन्याय की निरंतर विरासत को भी प्रकाशित करती है। यह समस्या के समाधान के लिए हमारे तत्काल ध्यान, विश्लेषण, और नियमित कार्रवाई की तुरंत अत्यावश्यकता है।

वैश्विक महामारी और वर्षों के युद्ध के बाद, आज फिर से महिलाओं के अपने शारीरिक मामले में निर्णय लेने के राजनीतिक अधिकारों पर कई तरीकों से घातक वार किया जा रहा है। महिलाओं के अधिकारों और आरोग्य पर यह चिंताजनक आक्रमण विश्वस्तर पर दिख रहा हैं - और बढ़ रहा हैं। अफगानिस्तान में महिलाओं को निर्दयतापूर्वक सार्वजनिक क्षेत्र से निकाला जाता है, जबकि ईरान में धार्मिक पुरुषप्रधानता द्वारा महिलाओं के साहस का क्रूर दमन किया जाता है। इस बीच, अमेरिका में, कानूनी परिवर्तन महिलाओं के गर्भपात के अधिकार को खत्म कर रहा हैं, और आम तौर से शारीरिक और प्रजनन स्वास्थ्य की सेवाओं को सीमित किया जा रहा है।[2] यूरोप में, चर्चा के तहत एक निर्देश में बलात्कार को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और इस्तांबुल कन्वेंशन को कमज़ोर करने का जोखिम सामने खड़ा है। गाजा और वेस्ट बैंक के संघर्ष, जिसमें अब तक 35,000 से अधिक लोग मारे गए हैं (12 मई 2024, तक[3]) और अधिकांश हताहतों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, इसके बावजूद अब तक संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं (UN) और सदस्य राष्ट्र शक्तिहीन बने हुए है। वही कहानी, वही तबाही, जैसा कि सभी सशस्त्र संघर्षों में होता है।

युद्ध वास्तव में पुरुषप्रधान व्यवस्था की परिभाषा बन गया है। आक्रामकता ज़ुल्म को वैध बनाती है और संघर्ष के "समाधान" के लिए दुर्व्यवहार को प्राथमिकता दी जाती है।[4] ये जुनूनी विचारधारा महिलाओं के शरीर को विनाशकारी युद्ध का उपयुक्त युद्धक्षेत्र बना देती है।

यहां तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) में भी - जहां कोविड-19 के दौरान कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में अधिकारियों को महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का दोषी पाया गया और पीड़ितों को 250 डॉलर का भुगतान दिया गया[5] - लिंग संवेदनशील सुधारों और महिला अधिकारों की सुरक्षा के हालिया आह्वान का फिर से विरोध किया जा रहा है।[6] आज कई ऐसे अंतरराष्ट्रीय उपकरण और क्षेत्रीय तंत्र अस्तित्व में है जो इन दोनों मुद्दों को पहचानते हैं और उनकी पुष्टि भी करते हैं, पर इसके बावजूद [7] महिलाओं के मूलभूत स्वास्थ्य अधिकारों को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

ऐसा कैसे हो रहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के भीतर कुछ लोगों का मानना है कि महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकार "राजनीतिक" मुद्दे हैं जिन्हें राष्ट्रीय सरकारों द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह मामला उनकी संस्था के "तकनीकी" अधिदेश से बाहर हैं। लेकिन स्वास्थ्य स्वाभाविक रूप से राजनीतिक विषय है - यह सच्चाई जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के खुद के संविधान में स्पष्ट रूप से स्वीकार्य किया गया है, जब यह पुष्टि करता है कि असमान विकास और भेदभाव जैसे राजनीतिक कारण स्वास्थ्य अधिकारों की पुष्टि में बाधारूप हो सकते हैं। यह संविधान शांति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, और अपने लोगों की सेवा करने की सरकारों की जिम्मेदारियों को स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य मानता है। इसलिए यह परिस्थिति एक बुनियादी सवाल उठाती है: जब हम महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाने की और उनकी सुरक्षा करने की बात आती है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की सियासी उपयुक्तता संकट का कारण क्यों बन जाती है, जबकि अन्य संवेदनशील राजनीतिक मामलों में इस तरीके का संकोच महसूस नहीं होता? देशों को अपने "राजकोषीय दायरे" में जन स्वास्थ्य के लिए निवेश बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन देना, या फिर बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रतिष्ठा पर जोर देना, भले ही ये नीतियां आवश्यक दवाओं और बीजों को आम आदमी तक पहुंचाने में बाधा हो - ऐसे मुद्दे विश्व स्वास्थ्य संगठन में समान चिंतित प्रतिक्रिया पैदा नहीं करते हैं।

सामाजिक समूहों को मानव अधिकारों से वंचित रखना और उनसे गुलामी करवाना, कोई भी सत्ता का अस्वीकार्य स्वरूप है जो लगातार हम पर थोपा जा रहा है। सभी प्रकार के अन्यायों का सामना करने वाली महिलाओं और अन्य पीड़ित समुदायों के लिए इस सत्ताशक्ति का व्यापक और हानिकारक रूप खूब जानापहचानासा है और जड़ से गहरा है - और इसे आमतौर पर पितृसत्ता या पुरूषप्रधानता के रूप में जाना जाता है। समाज का यह स्वरूप, जो धर्मों और संस्थागत संरचनाओं की विरासत में इतनी गहराई से अंतर्निहित है, कि यह विचार आज उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, और लोकलुभावनवाद के ऐतिहासिक और सदाबहार प्रदर्शनों के माध्यम से व्यापक तरीके से स्वीकार्य हो गया है और उपयोग किया जा रहा है। इन सभी समस्याओं का केंद्र नारी की आवाज़, शक्ति और स्वायत्तता का दमन है।

बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में भी जो महिलाओं और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, वह ऐसी अन्यायी सामाजिक व्यवस्था की नाकामयाबी का संकेत है। और इसको न्यूनतमवादी कोशिश और अविश्वसनीय बयानबाजी के साथ छुपाया गया है, जिसका उद्देश्य कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधार रेखा को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। हालाँकि, अक्सर ऐसी अधूरी पहल रूढ़िचुस्त और हानिकारक सामाजिक व्यवस्थाका संचय करती है, उसे बढ़ावा देती है। वे उस प्रणाली में निहित अन्याय और हिंसा को जड़ों से नहीं निकालती, जहां सदस्य राष्ट्रों सिर्फ कथित तौर पर उनकी महिलाओं के लिए बोलते है – मानो कि स्त्रियां उनकी संपत्ति हों, और उनकी खुद की आवाज नहीं!

विश्व में महिलाएं बहुमत का प्रतिनिधित्व करती हैं। हरेक स्तर पर राजनीतिक संस्थाओं का यह कानूनी दायित्व बनता है कि वे इस वास्तविकता को पहचानें और उसका सम्मान करें, न कि इसे धीरेधीरे कमजोर करे। अब वक्त है की जब सभी महिलाओं के लिए एक साथ आना, और सरकारों एवं अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संस्थानों से इस अस्थिर, अन्यायी, और अहितकर व्यवस्था को दूर करने के लिए जोश से आग्रह करना अनिवार्य हो गया है।

---

[1] दाना अबेद और फातिमा केलेहर (2022)। तपस्या का आक्रमण: कैसे प्रचलित आर्थिक नीति विकल्प लिंग आधारित हिंसा का एक रूप है। https://policy-practice.oxfam.org/resources/the-assault-of-austerity-how-prevailing-आर्थिक-policy-choices-are-a-form-of-g-621448/ [13 मई 2024 को एक्सेस किया गया]।

[2] राहेल ईस्टर, एमी फ्रेडरिक-कार्णिक और मेगन एल कवानुघ, (2024), प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल पर कोई भी प्रतिबंध प्रजनन स्वायत्तता को नुकसान पहुंचाता है: चार राज्यों से साक्ष्य. https://www.guttmacher.org/report/any-restrictions-reproductive-health-care-harm-reproductive-autonomy-evidence-four-states [13 मई 2024 को एक्सेस किया गया]।

[3] https://www.aljazeera.com/news/2024/5/12/un-head-urges-immediate-ceasefire-in-gaza-as-35000-palestinians-killed [13 मई 2024 को एक्सेस किया गया]।

[4] नारीवादी विदेश नीति केंद्र (2024) ताकतवर लोग और हिंसा: नारी-विरोधी और लोकतंत्र-विरोधी विकासों का अंतर्संबंध. नारीवादी विदेश नीति केंद्र, बर्लिन। https://centreforfeministforeignpolicy.org/wordpress/wp-content/uploads/2024/02/CFFP-strongmen-and-Violence.pdf [13 मई 2024 को एक्सेस किया गया]।

[5] https://www.voanews.com/a/internal-documents-show-the-world-health-organization-ped-sexual-abuse-victims-in-congo-250-each/7354013.html [13 मई 2024 को एक्सेस किया गया]।

[6] केरी कलिनन (2024) डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड में प्रजनन अधिकार समूह पर विवाद 'सचिवालय और 'विज्ञान-आधारित' दृष्टिकोण को कमजोर करता है। https://healthpolicy-watch.news/row-over-reproductive-rights-group-at-who-board-undermines-science-आधारित-approach/ [13 मई 2024 को एक्सेस किया गया]।

[7] ऐसे: द महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (CEDAW), संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1979 में अपनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि; बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच (बीपीएफए). 1995 में महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन के दौरान सहमति हुई; मापुटो प्रोटोकॉल अफ्रीकी महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाता है2003 में अफ्रीकी संघ द्वारा अपनाया गया और 2005 में अधिनियमित किया गया।